डंकन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड

में।

ए जे एग्रोकेम

(सिविल अपील क्रमांक 5120 ऑफ़ 2019)

अक्टूबर 04, 2019

अरुण मिश्रा, एम. आर. शाह एवं बी.आर. गवई, न्यायाधिपतिगण

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता**,2016**

:

एस.एस. 7, 9 और 238 – कॉर्पोरेट की शुरुआत के लिए आवेदन

सी परिचालन ऋणदाता द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया – तथ्यों पर। अपीलकर्ता–परिचालन देनदार 14 चाय बागानों का प्रबंधन करता है, जिनमें से केंद्र सरकार धारा के तहत शक्ति का प्रयोग कर रही है। चाय अधिनियम की धारा 16ई, 7 बागानों का नियंत्रण ले लिया – अपीलकर्ता ने प्रतिवादी द्वारा आपूर्ति किए गए कीटनाशकों के खिलाफ प्रतिवादी–परिचालन ऋणदाता को भुगतान करने में चूक की – धारा के तहत दिवालिया कार्यवाही की शुरुआत। 9 अपीलकर्ता के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा – एनसीएलटी ने माना कि कार्यवाही पूर्व सहमति के बाद से चलने योग्य नहीं थी

केंद्र सरकार आवश्यकतानुसार यू/एस. 16जी प्राप्त नहीं हुआ – अपील में, एनसीएलएटी ने उस आवेदन को धारा के तहत रखा। 9 एस के संदर्भ में केंद्र सरकार की सहमति के बिना भी बनाए रखने योग्य था। 16 जी– अपील पर, आयोजित: धारा 16जी(1)(सी) बिल्कुल भी लागू नहीं होगी, क्योंकि अपीलकर्ता–कॉर्पोरेट देनदार चाय बागानों के प्रबंधन और नियंत्रण में बना हुआ है, आईबीसी के प्रावधानों में एक होगा

चाय अधिनियम, 1953 पर अधिभावी प्रभाव – कार्यवाही शुरू करने से पहले केंद्र सरकार की कोई पूर्व सहमति नहीं। एफ या एस. 9 की आवश्यकता होगी और यहां तक कि केंद्र सरकार की ऐसी सहमति के बिना भी, दिवाला कार्यवाही के तहत कार्यवाही की जाएगी। 7 या एस. परिचालन ऋणदाता द्वारा शुरू किया गया 9 रखरखाव योग्य होगा – इस प्रकार। एनसीएलएटी द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा गया – चाय अधिनियम, 1953– एस। 16जी(1)(सी).

इस पर जोर – माना गया: जी अधिनियमित करते समय संहिता का प्राथमिक फोकस, कॉर्पोरेट देनदार को अपने स्वयं के प्रबंधन से और परिसमापन द्वारा कॉर्पोरेट ऋण से बचाकर कॉर्पोरेट देनदार के पुनरुद्धार और निरंतरता को सुनिश्चित करना है और ऐसी कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करना है। समयबद्ध तरीके से इस प्रकार

संपूर्ण "कॉर्पोरेट दिवाला समाधान एच प्रक्रिया" को "कार्यवाहियों को समाप्त करने" के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहा:

1.1 वास्तव में, चाय अधिनियम की धारा 16 ई के तहत अधिसूचना के बावजूद, अपीलकर्ता को चाय बागानों के प्रबंधन और नियंत्रण में रखा गया है। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि धारा 16 ई के तहत अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई थी और केंद्र सरकार ने सात चाय बागानों के प्रबंधन और नियंत्रण को संभालने के लिए कदम उठाने के लिए चाय बोर्ड को अधिकृत किया था, यह संतुष्ट होने पर कि उक्त सात चाय बागान थे अपीलकर्ता द्वारा चाय उद्योग और सार्वजनिक हित के लिए अत्यधिक हानिकारक तरीके से प्रबंधित किया जा रहा है। इसके बावजूद बड़े आश्चर्य की बात है कि हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक अंतरिम व्यवस्था के तहत सात चाय बागानों का प्रबंधन और नियंत्रण अपीलकर्ता को सौंप दिया है, जिनके कुप्रबंधन के कारण चाय की हालत खराब हो गई है. अपीलकर्ता द्वारा उद्यान चलाए जाते हैं। जो भी हो, तथ्य यह है कि, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा दिनांक 29.09.2016 को पारित अंतरिम व्यवस्था/आदेश के अनुसार, अपीलकर्ता–कॉर्पोरेट देनदार सात चाय बागानों के प्रबंधन और नियंत्रण में बना हुआ है। और वे चाय बागान चला रहे हैं। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, और विशेष रूप से तब, जब चाय अधिनियम की धारा 16 ई के तहत अधिसूचना के बावजूद, अपीलकर्ता–कॉर्पोरेट देनदार चाय बागानों/इकाइयों के प्रबंधन और नियंत्रण में बना हुआ है और उन्हें चला रहा है। चाय बागानों में मानो धारा 16 ई के तहत अधिसूचना जारी नहीं की गई है, चाय अधिनियम की धारा 16 जी, विशेष रूप से धारा 16 जी(1)(सी), बिल्कुल भी लागू नहीं होगी। धारा 16 जी को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर, धारा 16 जी केवल उस मामले में लागू होगी जहां किसी कंपनी के स्वामित्व वाले चाय उपक्रम या चाय इकाई का वास्तविक प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा ले लिया गया है। चाय अधिनियम. इसलिए, चाय अधिनियम की धारा 16 जी लागू होने से पहले केंद्र सरकार या केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा वास्तविक प्रबंधन और नियंत्रण लेना अनिवार्य है। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, धारा 16 जी(1)(सी) बिल्कुल भी लागू नहीं होगी, क्योंकि अपीलकर्ता–कॉर्पोरेट देनदार चाय इकाइयों/बागानों के प्रबंधन और नियंत्रण में बना हुआ है। [पैरा 7.1] [841–एफ–एच; 842–ए–ई]

1.2 धारा 16 जी(1)(सी) ऐसी कंपनी को बंद करने या उसके संबंध में रिसीवर की नियुक्ति के लिए कार्यवाही को संदर्भित करता है। इसलिए, आईबीसी की धारा 9 के तहत कार्यवाही केवल समापन और/या रिसीवर की नियुक्ति तक ही सीमित और/या सीमित नहीं होगी। कंपनी का समापन/परिसमापन अंतिम उपाय होगा और केवल उस स्थिति में जब कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया विफल हो जाएगी। आईबीसी को अधिनियमित करते समय कानून का प्राथमिक ध्यान कॉर्पोरेट देनदार को अपने स्वयं के प्रबंधन से और परिसमापन द्वारा कॉर्पोरेट ऋण से बचाकर कॉर्पोरेट देनदार के पुनरुद्धार और निरंतरता को सुनिश्चित करना है और ऐसी कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को एक समय में पूरा किया जाना है– बंधा हुआ ढंग. इसलिए, संपूर्ण "कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया" की तुलना "समापन कार्यवाही" से नहीं की जा सकती। इसलिए, आईबीसी की धारा 238 पर विचार करते हुए, जो कि चाय अधिनियम, 1953 का एक अनुवर्ती अधिनियम है, लागू होगा और आईबीसी के प्रावधान चाय अधिनियम, 1953 पर अत्यधिक प्रभाव डालेंगे। कोई भी अन्य दृष्टिकोण निराश करेगा IBC का उद्देश्य और उद्देश्य. यदि अपीलकर्ता की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि आईबीसी की धारा 9 के तहत कार्यवाही शुरू करने से पहले, चाय अधिनियम की धारा 16 जी (1) (सी) के तहत प्रदान की गई केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त की जानी है, तो उस स्थिति में, आईबीसी का मुख्य उद्देश्य और उद्देश्य, अर्थात् "कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया" को समयबद्ध तरीके से पूरा करना, विफल हो जाएगा। सारांश और सार यह होगा कि आईबीसी के

प्रावधानों का चाय अधिनियम, 1953 पर अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा और आईबीसी की धारा 7 या धारा 9 के तहत कार्यवाही शुरू करने से पहले केंद्र सरकार की कोई पूर्व सहमति नहीं होगी। आवश्यक है और यहां तक कि केंद्र सरकार की ऐसी सहमति के बिना भी, परिचालन ऋणदाता द्वारा शुरू की गई आईबीसी की धारा 7 या धारा 9 के तहत दिवाला कार्यवाही बनाए रखने योग्य होगी। इस प्रकार, एनसीएलएटी द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि प्रतिवादी–संचालन ऋणदाता द्वारा शुरू की गई दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 9 के तहत दिवाला याचिका कायम रहेगी। [पैरा 7.4, 8] [846–ई–एच; 847–ए–डी]

मैक्वेरी बैंक लिमिटेड बनाम शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

(2018) 2 SCC 674: [2017] 13 SCR 751; ds– fd'ku
वी. मैसर्स. विजय निर्माण कंपनी प्रा. लिमिटेड (2018) 17 एससीसी 662 [2018] 10 एससीआर 959; स्विस रिबन प्रा. लिमिटेड बनाम भारत संघ [एआईआर 2019 एससी 739: (2019) 4 एससीसी 17: [2019] 3 एससीआर 535; इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक (एआईआर 2017 एससी 4084: (2018) 1 एससीसी 407: [2017] 8 एससीआर 33; पीसीआईटी बनाम मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड (2018) 18 एससीसी 786 – संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

[2017] 13 एससीआर 751

करने के लिए भेजा

4.7 के लिए

[2018] 10 एससीआर 959

करने के लिए भेजा

4.7 के लिए

[2019] 3 एससीआर 535

करने के लिए भेजा

5.2 के लिए

[2017] 8 एससीआर 33

करने के लिए भेजा

5.4 के लिए

[2019] 3 एससीआर 535

करने के लिए भेजा

5.4 के लिए

(2018) 18 एससीसी 786

करने के लिए भेजा
5.4 के लिए

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2019 की सिविल अपील संख्या 5120।

कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 710, 2018 में राष्ट्रीय कंपनी अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश 20.06.2019 से।

श्याम दीवान, वरिष्ठ. अधिवक्ता, अतुल कुमार, आर. बनर्जी, उदयादित्य बी., अमित गुप्ता, सुश्री। दीपाली, तरूण गुप्ता, सलाहकार। अपीलकर्ता के लिए.

vf/koDrk izfroknh& vej nos] ,e- ,l- lksuy 'kkg] dq'kkxjk 'kkg] ,e-,l- Jorh vxjoky] Vh- efgiky] ,e-,l- lksuy vxjoky] ,e-,l- Lokrh vxjoky-

न्यायालय का निर्णय एम. आर. शाह, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में "एनसीएलएटी") द्वारा पारित दिनांक 20.06.2019 के आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना, जिसके द्वारा विद्वान अपीलीय न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी द्वारा की गई उक्त अपील को स्वीकार कर लिया है और रद्द कर दिया है। और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कोलकाता (संक्षेप में "एनसीएलटी") द्वारा पारित दिनांक 05.10.2018 के आदेश को रद्द कर दिया। यह मानते हुए कि प्रतिवादी का आवेदन धारा 9 के अंतर्गत है
दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (संक्षेप में "आईबीसी") बनाए रखने योग्य होगी, मूल प्रतिवादी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

2.1 कि अपीलकर्ता एक कॉर्पोरेट देनदार है। यह एक ऐसी कंपनी है जो 14 चाय बागानों का मालिक है और उनका प्रबंधन करती है। 14 चाय बागानों में से, केंद्र सरकार ने दिनांक 28.01.2016 की अधिसूचना के

माध्यम से, चाय अधिनियम, 1953 की धारा 16ई के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए 7 चाय बागानों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है।

2.2 यह कि प्रतिवादी अपीलकर्ता का परिचालन ऋणदाता है। यह अपीलकर्ता को कीटनाशक, कीटनाशक, शाकनाशी आदि की आपूर्ति करता था। प्रतिवादी–ऑपरेशनल क्रेडिटर के अनुसार, अपीलकर्ता–कॉर्पोरेट देनदार द्वारा प्रतिवादी–ऑपरेशनल क्रेडिटर को 41,55,500/– रुपये की राशि देय थी। प्रतिवादी ने आईबीसी की धारा 9 के तहत एनसीएलटी के समक्ष अपीलकर्ता–कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कार्यवाही शुरू की। प्रतिवादी–ऑपरेशन लेनदार द्वारा आईबीसी के तहत कार्यवाही शुरू करने का अपीलकर्ता–कॉर्पोरेट देनदार द्वारा मुख्य रूप से और केवल इस आधार पर विरोध किया गया था कि, जैसा कि चाय अधिनियम की धारा 16 जी (1) (सी) के तहत प्रदान किया गया है, एक बार चाय का प्रबंधन इकाई को केंद्र सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है, तो केंद्र सरकार की सहमति के बिना समापन या रिसीवर की नियुक्ति की कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। अपीलकर्ता–कॉर्पोरेट देनदार की ओर से यह मामला था कि, वर्तमान मामले में, चूंकि चाय अधिनियम की धारा 16 जी के तहत आवश्यक केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी नहीं ली गई है, इसलिए धारा 9 के तहत दिवालिया कार्यवाही की जाएगी। आईबीसी कायम रखने योग्य नहीं होगा. दिनांक 05.10.2018 के एक आदेश द्वारा, एनसीएलटी ने माना कि चाय अधिनियम की धारा 16 जी के तहत वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और केंद्र सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त नहीं की गई है, आईबीसी की धारा 9 के तहत कार्यवाही की जाएगी। रखरखाव योग्य नहीं होगा. प्रतिवादी–परिचालन ऋणदाता द्वारा एनसीएलएटी के समक्ष एक अपील में, आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, एनसीएलएटी ने एनसीएलटी, कोलकाता द्वारा पारित आदेश को उलट दिया है और माना है कि आईबीसी की धारा 9 के तहत प्रतिवादी का आवेदन इसके बिना भी बनाए रखने योग्य होगा। चाय अधिनियम की धारा 16जी के संदर्भ में केंद्र सरकार की सहमति। एनसीएलएटी द्वारा पारित दिनांक 20.06.2019 के आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, प्रतिवादी की अपील की अनुमति देते हुए कहा कि आईबीसी की धारा 9 के तहत दायर दिवालिया याचिका मूल रूप से सुनवाई योग्य होगी। प्रतिवादी–कॉर्पोरेट देनदार ने वर्तमान वैधानिक अपील को प्राथमिकता दी है।

3. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान अपीलकर्ता–कॉर्पोरेट ऋणी की ओर से उपस्थित हुए हैं और श्री अमर दवे, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी–परिचालन ऋणदाता की ओर से उपस्थित हुए हैं।

4. अपीलकर्ता–कॉर्पोरेट देनदार की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान ने हमें चाय अधिनियम, 1953 के प्रासंगिक प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 16 के बारे में बताया है। उन्होंने हमें इसके उद्देश्यों और उद्देश्यों के बारे में भी बताया है। चाय अधिनियम.

4.1 अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि चाय अधिनियम चाय उद्योग पर भारतीय संघ द्वारा नियंत्रण प्रदान करने के उद्देश्य से एक विशेष अधिनियम है। यह प्रस्तुत किया गया है कि चाय अधिनियम, 1953 की धारा 16डी(1) में अन्य बातों के साथ–साथ चाय इकाई और चाय उपक्रम को अपने अधिकार में लेने का प्रावधान है, यदि केंद्र सरकार की राय है कि चाय इकाई का प्रबंधन बेहद हानिकारक तरीके से किया जा रहा है। चाय उद्योग या जनहित के लिए। यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 16डी(4) में प्रावधान है कि केंद्र सरकार ऐसे कदम उठाएगी जो उपक्रम के व्यवसाय को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के उद्देश्य से आवश्यक हो सकते हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 16डी के तहत कोई भी अधिसूचना पांच साल से अधिक की अवधि के लिए प्रभावी होती है जिसे केवल तभी बढ़ाया जा सकता है जब केंद्र सरकार की

राय हो कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना समीचीन है। ऐसी अवधि के लिए जो एक समय में एक वर्ष से अधिक न हो, और कुल अवधि के लिए छह वर्ष से अधिक न हो। यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 16 ई आम जनता के हित में आवश्यक पाए जाने पर चाय उपक्रम को फिर से शुरू करने की केंद्र सरकार की शक्ति को संदर्भित करती है। यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 16 जी विशेष रूप से वर्तमान आवेदन जैसी स्थिति से संबंधित है। यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि कोई पुनरुद्धार नहीं होता है, तो दिवाला प्रक्रिया का समापन भी परिसमापन में होता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि चाय अधिनियम केंद्र सरकार को किसी चाय बागान का प्रबंधन अपने हाथ में लेने की अनुमति देता है जो ठीक से नहीं चल रहा है, धारा 16 जी के तहत पूर्व अनुमति ऐसी संपत्ति पर लागू होती है, जिसका प्रबंधन किसके द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है सरकार।

4.2 अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत "समापन" प्रक्रिया में आईबीसी के तहत दिवाला कार्यवाही शामिल है। यह प्रस्तुत किया गया है कि, इसलिए, आईबीसी के तहत दिवाला कार्यवाही के माध्यम से परिसमापन या परिसमापन के लिए किसी भी कार्यवाही की शुरुआत केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त होने के बाद ही की जाएगी, जैसा कि धारा 16 जी के तहत आवश्यक है।

चाय अधिनियम का, वर्तमान मामले में, अभाव है।
4.3 अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि, वर्तमान मामले में, केंद्र सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.01.2016 को चुनौती देने वाली कार्यवाही में चाय बोर्ड को प्रबंधन संभालने और लेने के लिए अधिकृत किया गया है। अपीलकर्ता–कॉर्पोरेट देनदार के 7 चाय बागानों का नियंत्रण, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हालांकि अधिसूचना पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन केवल 7 चाय बागानों के प्रबंधन के लिए एक अंतरिम व्यवस्था की है और उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को चलाने का निर्देश/अनुमति दी है बागानों को विवेकपूर्ण व्यवसाय की तरह से और श्रमिकों के वर्तमान और बकाया दोनों का भुगतान करना। यह प्रस्तुत किया गया है कि श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए भी अंतरिम आदेश पारित किया गया है

चाय बागानों की.

4.4 अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि चाय अधिनियम, 1953 के प्रावधान उन चाय इकाइयों पर लागू होते हैं, जिनका प्रबंधन उत्पादन और विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया है। चाय की। यह प्रस्तुत किया गया है कि चाय बोर्ड द्वारा चाय इकाइयों से चाय के निर्माण का नियंत्रण सार्वजनिक हित में है। यह एक कल्याणकारी कानून भी है. चाय अधिनियम एक केंद्रीय अधिनियम है और यह केवल उन कंपनियों पर लागू होता है जिनके पास चाय बागान या चाय इकाइयाँ हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि चाय अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं, तो चाय अधिनियम की धारा 16 जी, धारा 16 जे और धारा 16 एम को संयुक्त रूप से पढ़ने पर, आईबीसी की धारा 7 या धारा 9 के तहत एक आवेदन विचारणीय नहीं होगा और नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार की सहमति के बिना आगे बढ़ाया जाए..

4.5 अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि, वर्तमान मामले में, आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करके, विद्वान एनसीएलएटी ने यह मानने के लिए गलती से आईबीसी की धारा 238 पर भरोसा किया है। आईबीसी का चाय अधिनियम पर अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा। यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि दोनों कानूनों के बीच कोई विरोधाभास है तो आईबीसी की धारा 238 लागू होगी। यह

प्रस्तुत किया गया है कि, वर्तमान मामले में, चाय अधिनियम और आईबीसी के बीच ऐसा कोई टकराव नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि विवादित आदेश में एनसीएलएटी भी मानता है और/या रिकॉर्ड करता है कि आईबीसी और चाय अधिनियम के प्रावधान एक–दूसरे के साथ असंगत नहीं हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि वित्तीय ऋणदाता या परिचालन ऋणदाता द्वारा केंद्र सरकार से अनुमति प्राप्त की जाती है तो आईबीसी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 7 या धारा 9 के प्रावधानों के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं हो सकती है ऐसी कार्यवाही केंद्र सरकार शुरू करेगी, लेकिन जब चाय अधिनियम के तहत चाय बागानों का प्रबंधन केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, तो चाय अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करना होगा जिसके लिए केंद्र सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है। यह प्रस्तुत किया गया है कि, इसलिए, IBC के तहत दिवाला समाधान की प्रक्रिया को रोका नहीं गया है, लेकिन ऐसी दिवाला कार्यवाही शुरू करने के उद्देश्य से चाय अधिनियम के तहत अतिरिक्त अनुमति की आवश्यकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि यह तर्कसंगत होना चाहिए क्योंकि सार्वजनिक हित और चाय बागानों के श्रमिकों के हित के लिए चाय अधिनियम के तहत चाय बागानों का प्रबंधन पहले से ही केंद्र सरकार के अधीन है।

4.6 अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आईबीसी और चाय अधिनियम दोनों कल्याणकारी कानून हैं। आईबीसी सभी कॉरपोरेट्स के लिए कॉरपोरेट समाधान प्रक्रिया के लिए एक सामान्य अधिनियम है, लेकिन चाय अधिनियम उन कॉरपोरेट्स की रक्षा करता है जिनके पास चाय बागान हैं। चाय अधिनियम चाय उद्योगों और चाय बागानों की सुरक्षा के लिए संसद द्वारा अधिनियमित एक विशेष कानून है और चाय बोर्ड या केंद्र सरकार या चाय बागानों को चलाने या सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा प्रबंधन संभालने का प्रावधान करता है। मजदूर। यह प्रस्तुत किया गया है कि, इसलिए, इसके प्रावधानों को आईबीसी के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जा सकता है।

4.7 अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान ने मैक्वेरी बैंक लिमिटेड बनाम शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (2018) 2 एससीसी 674 के मामले में इस न्यायालय के फैसले के साथ–साथ हाल के फैसले पर भी बहुत भरोसा किया है। इस न्यायालय के दिनांक 14.08.2019 को के. किशन बनाम मैसर्स के मामले में। विजय निर्माण कंपनी प्रा. लिमिटेड (2018) 17 एससीसी 662, आईबीसी की धारा 238 की गैर–प्रयोज्यता पर। उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, अपी लकर्ता–कॉर्पोरेट ऋणी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि चाय अधिनियम और आईबीसी के बीच कोई असंगतता नहीं है, इसलिए ओवरराइडिंग प्रभाव देने के लिए आईबीसी की धारा 238 को लागू करने का कोई अवसर नहीं है।

4.8 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील की अनुमति दी जाए और एनसीएलएटी द्वारा पारित किए गए फैसले और आदेश को रद्द कर दिया जाए और एनसीएलटी, कोलकाता द्वारा पारित आदेश को बहाल किया जाए।
यह मानते हुए कि चाय अधिनियम की धारा 16 जी के तहत प्रदान की गई केंद्र सरकार की सहमति के अभाव में, आईबीसी की धारा 9 के तहत प्रतिवादी–परिचालन ऋणदाता द्वारा शुरू की गई दिवालिया कार्यवाही चलने योग्य नहीं होगी।

सह 5. वर्तमान अपील का प्रतिवादी–परिचालन ऋणदाता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अमर दवे ने पुरजोर विरोध किया है।

5.1 प्रतिवादी–परिचालन ऋणदाता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अमर दवे द्वारा दृढ़तापूर्वक यह प्रस्तुत किया गया है कि आईबीसी अपने आप में एक पूर्ण संहिता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि आईबीसी पुनर्गठन और दिवाला समाधान और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों से संबंधित एक समेकित और संशोधित कानून है। यह प्रस्तुत किया गया है कि संहिता, जिसे 2016 में प्रख्यापित किया गया था, ने चाय अधिनियम जैसी कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से सहमति प्राप्त करने की पूर्व–आवश्यकता प्रदान नहीं की है, जो कि 1953 में अधिनियमित एक पूर्व अधिनियम है। प्रस्तुत किया गया कि, इस प्रकार, सहमति प्राप्त करने की ऐसी पूर्व–आवश्यकता को कोड में आयात नहीं किया जा सकता है और/या पढ़ा नहीं जा सकता है जब स्व–निहित कोड स्वयं ऐसा नहीं करता है

इसके लिए प्रावधान करें.

5.2 यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने से पहले केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता पूरी तरह से संहिता की अधिभावी प्रकृति और हथियार रखने के स्पष्ट विधायी इरादे के विपरीत होगी। सरकार समाधान प्रक्रिया से दूर रहे और समाधान की प्रक्रिया में देरी न करे। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि चाय अधिनियम के अध्याय IIIA की जांच से पता चलता है कि चाय कंपनी को फिर से शुरू करने/पुनरुद्धार करने का उद्देश्य चाय अधिनियम की योजना में एक बड़ा हिस्सा है। यह प्रस्तुत किया गया है कि पुनः आरंभ/पुनरुद्धार का उक्त उद्देश्य चाय अधिनियम की धारा 16 बी(2), धारा 16 ई(1)(बी), धारा 161(1) और धारा 16 के से उत्पन्न होता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि कंपनी को फिर से शुरू करना/पुनरुद्धार करना भी IBC का उद्देश्य है, जैसा कि IBC की प्रस्तावना से स्पष्ट है और जैसा कि इस न्यायालय ने स्विस रिबन प्राइवेट लिमिटेड के मामले में देखा है। लिमिटेड बनाम भारत संघ [एआईआर 2019 एससी 739: (2019) 4 एससीसी 17]। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए दोनों कानूनों के बीच किसी भी टकराव की स्थिति में, आईबीसी की धारा 238 के आधार पर आईबीसी के प्रावधान प्रभावी होंगे।

5.3 यह उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दवे द्वारा प्रस्तुत किया गया है

प्रतिवादी–परिचालन ऋणदाता की ओर से कि वर्तमान मामला है
[एम। आर. शाह, जे.जे

ऐसा नहीं जहां चाय अधिनियम की धारा 16 जी बिल्कुल भी लागू होती है, क्योंकि प्रबंधन को केंद्र सरकार या चाय बोर्ड ने "कब्जे में" नहीं लिया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 28.01.2016 की अधिसूचना चाय अधिनियम की धारा 16 ई(1) के तहत जारी की गई थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि, उसकी उपधारा (2) के अनुसार, धारा 16 जी के प्रावधान धारा 16 ई(1) के तहत किए गए अधिसूचित आदेश पर लागू होंगे। यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 16 जी(1) तब लागू होगी जब किसी कंपनी के स्वामित्व वाले चाय उपक्रम या चाय इकाई का प्रबंधन चाय बोर्ड द्वारा ले लिया गया हो। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकार चाय अधिनियम की धारा 16 जी(1) चाय अधिनियम की धारा 16 ई(1) के तहत एक अधिसूचना जारी होने के साथ स्वचालित रूप से लागू नहीं होती है, बल्कि चाय उपक्रम या स्वामित्व वाली चाय इकाई के प्रबंधन के बाद लागू हो जाती है। एक कंपनी द्वारा चाय बोर्ड द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि, वर्तमान मामले में, कलकत्ता

उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार, जिसमें दिनांक 28.01.2016 की अधिसूचना को कॉर्पोरेट देनदार द्वारा चुनौती दी गई है, अपीलकर्ता–कॉर्पोरेट देनदार अभी भी मौजूद है। चाय इकाइयों/बागानों का प्रबंधन और नियंत्रण। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए धारा 16ई(1) का अनुप्रयोग अब प्रचलित नहीं है और परिणामस्वरूप चाय अधिनियम की धारा 16जी लागू होगी

बिल्कुल लागू नहीं होगा. 5.4 प्रतिवादी–परिचालन ऋणदाता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दवे द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि चाय अधिनियम की धारा 16जी(1)(सी) "समापन" की कार्यवाही पर लागू होती है, न कि शुरुआत के लिए आगे बढ़ने पर। "कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया", क्योंकि दोनों एक ही कार्यवाही नहीं हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि किसी कंपनी का समापन कंपनी अधिनियम द्वारा प्रदान किया जाता है और इसके द्वारा शासित होता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि, दूसरी ओर, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के लिए प्रदान की जाती है और इसके द्वारा शासित होती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे से अलग हैं और एक दूसरे का पर्याय नहीं हैं। . यह प्रस्तुत किया गया है कि परिसमापन से संबंधित कोई भी कानून बनाने की संसद की शक्ति का पता प्रविष्टि संख्या से लगाया जा सकता है। संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची के 33 और 34। यह प्रस्तुत किया गया है कि, दूसरी ओर, दिवालियापन से संबंधित कोई भी कानून बनाने की संसद की शक्ति का पता प्रविष्टि संख्या से लगाया जा सकता है। संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के 9. यह प्रस्तुत किया गया है कि, इस प्रकार, समापन और दिवाला कार्यवाही एक ही नहीं है क्योंकि उनका उल्लेख दो अलग–अलग के तहत किया गया है
सातवीं अनुसूची में दो अलग–अलग सूचियों में प्रविष्टियाँ। यह प्रस्तुत किया गया है कि, चाय अधिनियम की धारा 16जी(1)(सी), जो अनिवार्य करती है कि किसी भी कंपनी के खिलाफ किसी भी अदालत में समापन की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है, जिसे केंद्र की सहमति के बिना चाय बोर्ड ने अपने कब्जे में ले लिया है। सरकार का ऐसा अर्थ नहीं लगाया जा सकता है और न ही लगाया जा सकता है कि उक्त धारा उस कंपनी के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की किसी भी कार्यवाही पर लागू होती है, जिसे टी बोर्ड ने अपने कब्जे में ले लिया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान एनसीएलएटी ने सही माना है कि धारा 16जी(1)(सी) समापन से संबंधित है और दूसरी ओर, आईबीसी की धारा 9 समापन की कार्यवाही नहीं है, बल्कि "कॉर्पोरेट दिवालियापन" की शुरुआत के लिए है। समाधान प्रक्रिया" कॉर्पोरेट देनदार को अपने स्वयं के प्रबंधन से और परिसमापन द्वारा कॉर्पोरेट ऋण से बचाकर कॉर्पोरेट देनदार के पुनरुद्धार और निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए है। अपनी उपरोक्त दलीलों के समर्थन में, प्रतिवादी–परिचालन ऋणदाता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दवे ने इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईसीआईसीआई बैंक [एआईआर 2017 एससी 4084 पैरा 16, 51 और 56 पर इस न्यायालय के फैसलों पर भारी जवाब दिया है। : (2018) 1 एससीसी 407], स्विस रिबन प्राइवेट। लिमिटेड [एआईआर 2019 एससी 739 पैरा 10 से 12: (2019) 4 एससीसी 17] और पीसीआईटी बनाम मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड (2018) 18 एससीसी 786 में एक निर्णय। उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करना इस न्यायालय से वर्तमान अपील को खारिज करने और एनसीएलएटी द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश की पुष्टि करने की प्रार्थना की जाती है।

6. इस न्यायालय के विचारार्थ जो संक्षिप्त प्रश्न रखा गया है वह यह है कि क्या आईबीसी की धारा 9 के तहत कार्यवाही शुरू करने से पहले, चाय अधिनियम, 1953 की धारा 16 जी (1) (सी) के तहत प्रदान की गई केंद्र सरकार की सहमति है। आवश्यक है और/या क्या केंद्र सरकार की ऐसी किसी सहमति के अभाव में आईबीसी की धारा 9 के तहत प्रतिवादी–परिचालन ऋणदाता द्वारा शुरू की गई कार्यवाही कायम रहेगी या नहीं?

7. चाय अधिनियम की धारा 16 जी इस प्रकार है: "16 जी। 1956 के अधिनियम 1 का अनुप्रयोग।–(1) जहां किसी कंपनी के स्वामित्व वाले चाय उपक्रम या चाय इकाई का प्रबंधन किसी व्यक्ति या निकाय द्वारा ले लिया गया है इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम में या ऐसी कंपनी के ज्ञापन या एसोसिएशन के लेखों में किसी भी बात के बावजूद,

(ए) ऐसी कंपनी के शेयरधारकों या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति को कंपनी के निदेशक के रूप में नामित या नियुक्त करना वैध नहीं होगा;

(बी) ऐसी कंपनी के शेयरधारकों की बैठक में पारित किसी भी प्रस्ताव को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किए बिना प्रभावी नहीं किया जाएगा;

(ई) ऐसी कंपनी को बंद करने या उसके संबंध में रिसीवर की नियुक्ति के लिए कोई कार्यवाही केंद्र सरकार की सहमति के बिना किसी भी अदालत में नहीं होगी।

(2) उप–धारा (1) में निहित प्रावधानों के अधीन, और इस अधिनियम में निहित अन्य प्रावधानों के अधीन, और ऐसे अन्य अपवादों, प्रतिबंधों और सीमाओं के अधीन, यदि कोई हो, जैसा कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा कर सकती है। आधिकारिक राजपत्र में इस संबंध में निर्दिष्ट किया गया है, कंपनी अधिनियम, 1956, ऐसी कंपनी पर उसी तरह लागू रहेगा जैसे वह अधिसूचित आदेश जारी होने से पहले लागू होता था।"

7.1 वर्तमान मामले में, यह सच है कि चाय अधिनियम की धारा 16 ई के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 28.01.2016 द्वारा, केंद्र सरकार ने चाय बोर्ड को उक्त अधिसूचना में उल्लिखित सात चाय बागानों का प्रबंधन या नियंत्रण लेने के लिए अधिकृत किया। . [हालाँकि, अपीलकर्ता ने उक्त अधिसूचना को कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी और उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त याचिका को खारिज कर दिया। हालाँकि, एक अपील में, कलकत्ता उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने दिनांक 20.09.2016 के अंतरिम आदेश के तहत अपीलकर्ता–कॉर्पोरेट देनदार को उक्त चाय बागानों का प्रबंधन जारी रखने की अनुमति दी है। इसलिए, वास्तव में, धारा 16 ई दिनांक 28.01.2016 के तहत अधिसूचना के बावजूद, अपीलकर्ता को चाय बागानों के प्रबंधन और नियंत्रण में रखा गया है। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि चाय अधिनियम की धारा 16 ई के तहत अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई थी और केंद्र सरकार ने चाय बोर्ड को सात चाय बागानों के प्रबंधन और नियंत्रण को संभालने के लिए कदम उठाने के लिए अधिकृत किया था। संतुष्ट हैं कि उक्त सात चाय बागानों का प्रबंधन अपीलकर्ता द्वारा चाय उद्योग और सार्वजनिक हित के लिए अत्यधिक हानिकारक तरीके से किया जा रहा था। इसके बावजूद, आश्चर्यजनक रूप से, एक अंतरिम व्यवस्था द्वारा, कलकत्ता उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने सात चाय बागानों का प्रबंधन और नियंत्रण अपीलकर्ता को सौंप दिया है,
जिसके कुप्रबंधन के कारण इसकी स्थिति खराब हो गयी है. अपीलकर्ता द्वारा चलाए जा रहे चाय बागानों की। चाहे जो भी हो, तथ्य तो यही है। यह माना जाता है कि, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा दिनांक 29.09.2016 को पारित अंतरिम व्यवस्था/आदेश के अनुसार, अपीलकर्ता–कॉर्पोरेट देनदार सात चाय बागानों के प्रबंधन और नियंत्रण में बने हुए हैं और वे चाय बागान चला रहे हैं। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, और विशेष रूप से तब, जब चाय अधिनियम की धारा 16 ई के तहत अधिसूचना के बावजूद, अपीलकर्ता–कॉर्पोरेट देनदार चाय बागानों/इकाइयों के प्रबंधन और नियंत्रण में बना हुआ है और उन्हें चला रहा है।

चाय बागानों में मानो धारा 16ई के तहत अधिसूचना जारी नहीं की गई है, चाय अधिनियम की धारा 16जी, विशेष रूप से धारा 16जी(1)(सी), बिल्कुल भी लागू नहीं होगी। चाय अधिनियम की धारा 16जी को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर, हमारी राय है कि चाय अधिनियम की धारा 16जी केवल उस मामले में लागू होगी जहां किसी कंपनी के स्वामित्व वाले चाय उपक्रम या चाय इकाई का वास्तविक प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया गया हो। चाय अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा। इसलिए, चाय अधिनियम की धारा 16जी लागू होने से पहले केंद्र सरकार या केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा वास्तविक प्रबंधन और नियंत्रण लेना अनिवार्य है। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, धारा 16जी(1)(सी) बिल्कुल भी लागू नहीं होगी, क्योंकि अपीलकर्ता–कॉर्पोरेट देनदार चाय इकाइयों/बगीचों के प्रबंधन और नियंत्रण में बना हुआ है।

7.2 अब, जहां तक मुख्य मुद्दा है, अर्थात्, क्या आईबीसी की धारा 9 के तहत कार्यवाही शुरू करने से पहले, चाय अधिनियम की धारा 16जी(1)(सी) के तहत प्रदान की गई केंद्र सरकार की पूर्व सहमति आवश्यक है या नहीं और/या केंद्र सरकार की ऐसी किसी सहमति के अभाव में, IBC की धारा 9 के तहत कार्यवाही कायम रहेगी या नहीं, इसका संबंध है, शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि IBC एक पूर्ण संहिता है अपने आप। स्विस रिबन प्राइवेट लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय के एक हालिया फैसले में। लिमिटेड (सुप्रा), इस न्यायालय के पास आईबीसी के उद्देश्यों और कारणों के विवरण और आईबीसी की प्रस्तावना पर विचार करने का अवसर था, जिसे इस न्यायालय ने इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सुप्रा) में अपने पहले के फैसले में नोट किया था। स्विस रिबन प्राइवेट लिमिटेड के मामले में पैराग्राफ 25 और 26। लिमिटेड (सुप्रा), इस न्यायालय ने आईबीसी के उद्देश्यों और कारणों के विवरण और आईबीसी की प्रस्तावना का उल्लेख किया है। अनुच्छेद 25 और

26 इस प्रकार हैं:
25. संहिता के उद्देश्यों और कारणों के विवरण को इनोवेटिव इंडस्ट्रीज [इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक, (2018) 1 एससीसी 407: (2018) 1 एससीसी (सिव) 356] में संदर्भित किया गया है, जिसमें कहा गया है: (एससीसी) पृ. 421–22, पैरा 12)

"12....संहिता के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार है:

'वस्तुओं और कारणों का कथन। भारत में दिवालियेपन और दिवालियेपन से निपटने वाला कोई एक कानून नहीं है। कंपनियों के लिए दिवालियापन और दिवालियापन से संबंधित प्रावधान बीमार औद्योगिक कंपनियों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण की वसूली अधिनियम, 1993, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन में पाए जा सकते हैं। अधिनियम, 2002 और कंपनी अधिनियम, 2013। ये क़ानून औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर), ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) और उनके संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण जैसे कई मंचों के निर्माण का प्रावधान करते हैं। कंपनियों का परिसमापन उच्च न्यायालयों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। व्यक्तिगत दिवालियेपन और दिवालियेपन को प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्वेंसी अधिनियम, 1909 और प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 के तहत निपटाया जाता है और अदालतों द्वारा निपटाया जाता है। दिवालियेपन और दिवालियेपन के लिए मौजूदा ढांचा अपर्याप्त, अप्रभावी है और इसके परिणामस्वरूप समाधान में अनुचित देरी होती है, इसलिए प्रस्तावित कानून लागू किया गया है।

2. दिवाला और दिवालियापन संहिता का उद्देश्य। 2015 का उद्देश्य कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवालियापन समाधान से संबंधित कानूनों को समयबद्ध तरीके से समेकित और संशोधित करना है ताकि ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम किया जा सके, उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा सके, ऋण की उपलब्धता और हितों को संतुलित किया जा सके। सरकारी बकाया के भुगतान की प्राथमिकता में परिवर्तन और एक दिवाला और दिवालियापन कोष की स्थापना, और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों सहित सभी हितधारक। दिवालियेपन और दिवालियापन के समय पर समाधान के लिए एक प्रभावी कानूनी ढांचा ऋण बाजारों के विकास का समर्थन करेगा और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करेगा। इससे ईज ऑफ डूइंग में भी सुधार होगा
व्यापार, और अधिक निवेश की सुविधा जिससे उच्च आर्थिक वृद्धि और विकास हो सके।

3. संहिता दिवालियापन, परिसमापन और दिवालियापन के समाधान के लिए क्रमशः कॉर्पोरेट व्यक्तियों और फर्मों और व्यक्तियों के लिए एनसीएलटी और डीआरटी को निर्णायक प्राधिकारी के रूप में नामित करने का प्रावधान करती है। संहिता दिवालियापन और दिवालियेपन की कार्यवाही के व्यावसायिक पहलुओं को न्यायिक पहलुओं से अलग करती है। संहिता दिवाला पेशेवरों, दिवाला पेशेवर एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं के विनियमन के लिए भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (बोर्ड) की स्थापना का भी प्रावधान करती है। बोर्ड की स्थापना होने तक, केंद्र सरकार बोर्ड की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी या बोर्ड की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने के लिए किसी वित्तीय क्षेत्र के नियामक को नामित करेगी। दिवाला पेशेवर संहिता में परिकल्पित दिवाला समाधान, परिसमापन और दिवालियेपन की कार्यवाही को पूरा करने में सहायता करेंगे। सूचना उपयोगिताएँ ऐसी कार्यवाहियों को सुविधाजनक बनाने के लिए वित्तीय जानकारी एकत्र, एकत्रित, प्रमाणित और प्रसारित करेंगी। संहिता में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए भारत का दिवाला और दिवालियापन कोष नामक एक कोष स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

4. संहिता भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, आयकर अधिनियम, 1961, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 में संशोधन प्रदान करना चाहती है। वित्त अधिनियम, 1994, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) निरसन अधिनियम, 2003, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008, और कंपनी अधिनियम, 2013।

5. संहिता उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती है।

26. संहिता की प्रस्तावना इस प्रकार है:

"ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने के लिए समयबद्ध तरीके से कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवालियापन समाधान से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम, बढ़ावा देने के लिए
उद्यमशीलता, ऋण की उपलब्धता और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करना, जिसमें सरकारी बकाया भुगतान की प्राथमिकता के क्रम में बदलाव और भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड की स्थापना करना और

उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों का समाधान शामिल है।"

7.3 आईबीसी के उद्देश्यों और कारणों के विवरण और संहिता की प्रस्तावना पर ध्यान देने और विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 27 और 28 को निम्नानुसार देखा और माना है:

"27. जैसा कि स्पष्ट है, प्रस्तावना इस बात की अंतर्दृष्टि देती है कि संहिता द्वारा क्या हासिल किया जाना है। संहिता सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है, कॉर्पोरेट देनदारों के पुनर्गठन और दिवालियापन समाधान के लिए एक संहिता। जब तक ऐसा पुनर्गठन एक समय में प्रभावी नहीं होता है– बाध्य तरीके से, ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति का मूल्य कम हो जाएगा। इसलिए, ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करना ताकि उन्हें चालू चिंताओं के रूप में कुशलतापूर्वक चलाया जा सके, संहिता का एक और बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह, बदले में, बढ़ावा देगा उद्यमशीलता क्योंकि कॉर्पोरेट देनदार के प्रबंधन में मौजूद व्यक्तियों को हटा दिया जाता है और उनकी जगह उद्यमियों को ले लिया जाता है। इसलिए, जब एक समाधान योजना शुरू होती है और कॉर्पोरेट देनदार को आर्थिक मुख्यधारा में वापस लाया जाता है, तो वह अपने ऋण चुकाने में सक्षम होता है, जो बदले में , बैंकों और वित्तीय संस्थानों के हाथों में ऋण की व्यवहार्यता को बढ़ाता है। सबसे ऊपर, अंततः, सभी हितधारकों के हितों का ध्यान रखा जाता है क्योंकि कॉर्पोरेट देनदार स्वयं समाधान योजना का लाभार्थी बन जाता है–श्रमिकों को भुगतान किया जाता है, लंबे समय में लेनदारों को रन का पूरा भुगतान किया जाएगा, और शेयरधारक/निवेशक अपने निवेश को अधिकतम करने में सक्षम होंगे। एक प्रभावी कानूनी ढांचे के माध्यम से संकट में फंसे कॉर्पोरेट देनदार का समय पर समाधान, क्रेडिट बाजारों के विकास में काफी मदद करेगा। चूंकि अर्थव्यवस्था में वापस आए धन से अधिक निवेश किया जा सकता है, इसलिए व्यापार आसान हो जाता है, जिससे कुल मिलाकर, उच्च आर्थिक वृद्धि और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास होता है। ध्यान देने वाली दिलचस्प बात यह है कि प्रस्तावना किसी भी तरह से परिसमापन का उल्लेख नहीं करती है, जिसका लाभ केवल अंतिम उपाय के रूप में लिया जाता है यदि या तो कोई समाधान योजना नहीं है या प्रस्तुत की गई समाधान योजनाएं सही नहीं हैं। परिसमापन में भी, परिसमापक कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय को एक चालू संस्था के रूप में बेच सकता है। (पैरा 83, एफएन 3 पर आर्सेलरमित्तल [आर्सेलरमित्तल (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम सतीश कुमार गुप्ता, (2019) 2 एससीसी 1] देखें)।

28. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि कानून का प्राथमिक फोकस कॉर्पोरेट देनदार को अपने स्वयं के प्रबंधन से और परिसमापन द्वारा कॉर्पोरेट मृत्यु से बचाकर कॉर्पोरेट देनदार के पुनरुद्धार और निरंतरता को सुनिश्चित करना है। इस प्रकार संहिता एक लाभकारी कानून है जो कॉर्पोरेट देनदार को वापस अपने पैरों पर खड़ा कर देता है, न कि यह केवल लेनदारों के लिए वसूली कानून है। इसलिए, कॉर्पोरेट देनदार के हितों को इसके प्रवर्तकों/प्रबंधन में शामिल लोगों से विभाजित और अलग कर दिया गया है। इस प्रकार, समाधान प्रक्रिया कॉर्पोरेट देनदार के लिए प्रतिकूल नहीं है, बल्कि वास्तव में, उसके हितों की रक्षा करती है। धारा 14 द्वारा लगाया गया अधिस्थगन स्वयं कॉर्पोरेट देनदार के हित में है, जिससे समाधान प्रक्रिया के दौरान कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति सुरक्षित रहती है। जिस समय–सीमा के भीतर समाधान प्रक्रिया फिर से होनी है, वह कॉर्पोरेट देनदार की संपत्तियों को और कमजोर होने से बचाती है, और यह देखकर उसके सभी लेनदारों और श्रमिकों की भी सुरक्षा करती है कि समाधान प्रक्रिया जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़े ताकि कोई अन्य प्रबंधन अपनी उद्यमशीलता के माध्यम से ऐसा कर सके। कौशल, इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कॉर्पोरेट देनदार को पुनर्जीवित करें।

7.4 धारा 16 जी(1)(सी) ऐसी कंपनी को बंद करने या उसके संबंध में रिसीवर की नियुक्ति के लिए कार्यवाही

को संदर्भित करता है। इसलिए, आईबीसी की धारा 9 के तहत कार्यवाही केवल समापन और/या रिसीवर की नियुक्ति तक ही सीमित और/या सीमित नहीं होगी। कंपनी का समापन/परिसमापन अंतिम उपाय होगा और केवल उस स्थिति में जब कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया विफल हो जाएगी। जैसा कि इस न्यायालय ने स्विस रिबन प्राइवेट लिमिटेड में देखा। लिमिटेड (सुप्रा), यहां ऊपर उल्लिखित है, आईबीसी को अधिनियमित करते समय कानून का प्राथमिक फोकस कॉर्पोरेट देनदार को अपने स्वयं के प्रबंधन से और परिसमापन और ऐसे कॉर्पोरेट दिवालियापन द्वारा कॉर्पोरेट ऋण की रक्षा करके कॉर्पोरेट देनदार के पुनरुद्धार और निरंतरता को सुनिश्चित करना है। समाधान प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना है। इसलिए, संपूर्ण "कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया" की तुलना "समापन कार्यवाही" से नहीं की जा सकती। इसलिए, आईबीसी की धारा 238 पर विचार करते हुए, जो कि चाय अधिनियम, 1953 का एक बाद का अधिनियम है, लागू होगा और आईबीसी के प्रावधानों का चाय अधिनियम, 1953 पर अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा। कोई अन्य दृष्टिकोण निराशाजनक होगा। IBC का उद्देश्य और उद्देश्य. यदि अपीलकर्ता की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि आईबीसी की धारा 9 के तहत कार्यवाही शुरू करने से पहले, केंद्र सरकार की सहमति के रूप में
चाय अधिनियम की धारा 16 जी(1)(सी) के तहत प्रावधान प्राप्त किया जाना है, उस स्थिति में, आईबीसी का मुख्य उद्देश्य और उद्देश्य, "कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया" को समयबद्ध तरीके से पूरा करना है, निराश होना पड़ेगा. उपरोक्त चर्चा का सार और सार यह होगा कि आईबीसी के प्रावधानों का चाय अधिनियम, 1953 पर अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा और धारा 7 या धारा 9 के तहत कार्यवाही शुरू करने से पहले केंद्र सरकार की कोई पूर्व सहमति नहीं होगी। आईबीसी की आवश्यकता होगी और केंद्र सरकार की ऐसी सहमति के बिना भी, परिचालन ऋणदाता द्वारा शुरू की गई आईबीसी की धारा 7 या धारा 9 के तहत दिवालिया कार्यवाही कायम रहेगी।

एस. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से, वर्तमान अपील विफल हो जाती है और यह खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है। एनसीएलएटी द्वारा पारित दिनांक 20.06.2019 के आक्षेपित निर्णय और आदेश की पुष्टि की जाती है, जिसमें कहा गया है कि प्रतिवादी–संचालन ऋणदाता द्वारा शुरू की गई दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 9 के तहत दिवाला याचिका कायम रहेगी। कोई लागत नहीं.

अपील खारिज

vuqokfnr&egs'k dqekj
vuU; fo'ks"k U;k;k/kh'k] lh-ch-vkbZ-&r`rh;] iVukA